

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2011

अधिसूचना सं. 20/2011-आय-कर

का.आ. 779(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना सं. 80/2010, दिनांक 19 अक्टूबर, 2010 में 'आई सी आई सी आई प्रूडेंशल लाइफ इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड की वार्षिक योजना', के स्थान पर 'टाटा ए आई जी लाइफ इन्श्योरेंस कम्पनी की वार्षिक योजना' पढ़ा जाए।

[फा. सं. 178/4/2009-आ.क.नि.-1]

रमण चोपड़ा, निदेशक (आ.क.नि.-1)